

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0271 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/11/2024 18:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भा दं सं 1860	406
4	भा दं सं 1860	409
5	भा दं सं 1860	420
6	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 18/06/2020 Date To (दिनांक तक): 31/08/2020
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 10:00 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/11/2024 Time (समय): 16:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 25/11/2024 18:27:19 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 130 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) Address(पता): KRYA,VIKRYA SAHKARI SAMITI KE KHARID KENDRA, BAP, PHALODI,BAPINI V LOHAWAT

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MANISH VAISHNAV

(b) Father's Name (पिता का नाम): BABULAL

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 16/10/1979

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	POKRANA KI POLE, JAITARAN, JAITARAN, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	POKRANA KI POLE, JAITARAN, JAITARAN, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

[REDACTED]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MURLI MANOHAR VYAS		पिता: PANNALAL VYAS	1. NAGOUR ROAD PHALODI, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA
2	MOHANLAL CHOUDHARY		पिता: BAGATARAM CHOUDHARY	1. GRAM PANCHAYAT RIDMALSAR, AAU, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA
3	DEVI SINGH KHINCHI		पिता: KHETSINGH	1. GRAM PANCHAYAT GHNTIYALI, GHNTIYALI, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA

4	HARI SINGH		पिता:NARAYAN SINGH	1. GRAM POST AMLA, LOHAWAT, LOHAWAT, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA
5	DILIP SINGH RAJPUROHIT		पिता:SOHAN SINGH	1. PRATAPJI KA KOT TIVARI, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,32,37,122.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

2,32,37,122.00

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि परिवाद सं0 116/2020 के सत्यापन के दौरान श्रीमान अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर खण्ड जोधपुर से उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा समर्थन मूल्य खरीफ 2019 में मूंगफली खरीद फलोदी, बाप व लोहावट सहकारी समितियों द्वारा भण्डारगृहों में जमा नहीं कराई गई मात्रा का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मय राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत जाँच रिपोर्ट, धनसिंह देवल अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर खण्ड जोधपुर के जाँच परिणाम तथा श्री भोमा राम अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर खण्ड जोधपुर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57(2) के तहत निर्णय तथा श्री मुक्तानन्द अग्रवाल रजिस्ट्रार के राजस्थान सिविल सर्विसेज के नियम 1958 के नियम के तहत आदेश आदि रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। तथा गवाह श्री हेमेन्द्रसिंह आशिया निरीक्षक सहकारी समितियां जोधपुर व श्री राकेश पुरोहित उप रजिस्ट्रार (विधि) सहकारी समितियां, जोधपुर से जाँच सत्यापन कर बयान लेखबद्ध किए गए। श्रीमान अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर खण्ड जोधपुर द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात् एवं गवाह के बयानात् से पाया गया कि वर्ष 2010 में श्री हेमेन्द्र आशिया तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी राजफेड जोधपुर ने विभाग के अधिकारियों एवं प्रबंधक निदेशक राजफेड को अवगत कराया कि मुरली मनोहर व्यास क्रय विक्रय सहकारी समिति के मुख्य व्यवस्थापक द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंगफली क्रय की गई थी इसमें से शेष रही समर्थन मूल्य मूंगफली स्टेट वेयर हाउस में जमा नहीं करवाई जा रही है। जिस पर प्रबंधक निदेशक राजफेड ने रजिस्ट्रार सहकारी समिति को पत्राचार किया जिस पर श्री धनसिंह देवल अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर के आदेश क्रमांक 2319-20 दिनांक 29.05.2020 के जरिए श्री राकेश पुरोहित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर को निर्देशित किया कि क्रय केन्द्रों के पिड पर पडे माल का भौतिक सत्यापन कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा श्री राकेश पुरोहित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, जोधपुर के सहयोग हेतु श्री गणेशलाल शर्मा तकनीकी सहायक को नियुक्त किया। जिस पर दिनांक 04.06.2020 को श्री राकेश पुरोहित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, जोधपुर द्वारा श्री गणेशलाल शर्मा निरीक्षक(कार्यकारी) सहकारी समितियां, जोधपुर के साथ समर्थन मूल्य खरीफ फसल खरीद केन्द्र फलोदी, बापिणी एवं लोहावट पहुंचकर भौतिक निरीक्षक किया गया था। श्री राकेश पुरोहित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, जोधपुर ने भौतिक निरीक्षण से 2019 में खरीद की गई मूंगफली खरीद को सहकारी समितियों द्वारा भण्डारगृहों में जमा नहीं कराई गई मात्रा का उल्लेख करते हुए भौतिक सत्यापन रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर को पेश की जिसमें उल्लेखित किया कि श्री मुरलीमनोहर व्यास समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के दौरान फलौदी एवं बाप क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 के व्यवस्थापक पद पर रहे है। श्री मुरलीमनोहर व्यास द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक स्पे0 01 दिनांक 02.06.2020 से अवगत कराया कि फलोदी क्रय केन्द्र पर 2702.40 क्वि0 एवं

लोहावट क्रय केन्द्र पर 203.06 क्वि0, बापिणी क्रय केन्द्र पर 1659.79 क्वि0 एवं बाप क्रय केन्द्र पर 315.38 क्वि0 मूंगफली वेयरहाउस में कम जमा करवाई गई है जिसका मिलान क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड जोधपुर के पत्रांक 1519 दिनांक 29.05.2020 से उपलब्ध करवाई गई सूचना से भी हुआ। श्री धनसिंह देवल अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर खण्ड जोधपुर के आदेशांक 26.05-08 दिनांक 09.06.2020 द्वारा श्री राकेश पुरोहित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, जोधपुर को राज0 सहकारी सोसायटी अधि0 2001 की धारा 55 के तहत फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 फलोदी के क्रय केन्द्र फलोदी, बापिणी एवं लोहावट में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद 2019-20 की सम्पूर्ण खरीद प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के संबंध में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच के दौरान श्री राकेश पुरोहित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, जोधपुर ने पाया कि तीनो खरीद केन्द्रो फलोदी, बापिणी एवं लोहावट पर खरीद की गई मूंगफली के वजन में कुल 4565.25 क्वि0 की शर्टेज/कमी पाई गई है। जिसमें से फलोदी खरीद केन्द्र पर 2702.40 क्वि0 राशि रू0 13755216.00 बापिणी केन्द्र पर 1659.79 क्वि0 राशि रू0 8448331.00 तथा लोहावट केन्द्र पर 203.06 क्वि. राशि रू0 1033575.00 की कमी पाई गई है। इन केन्द्रो के प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के अनुसार उक्त समस्त माल कमी के लिये वे स्वयं जिम्मेवार हैं तथा इनके द्वारा माल कमी को स्वीकार करते हुए दिनांक 10.07.2020 तक कुल कमी राशि रू0 2,32,37,122/- में से रू0 1,08,33,575/- जमा कराये हैं। इस प्रकार माल कमी में से शेष राशि रू0 1,24,03,547/- जमा होने बकाया हैं तथा उक्त बकाया राशि में श्री मोहनलाल खरीद केन्द्र प्रभारी फलोदी के विरुद्ध माल कमी की बकाया राशि रू077,55,216.00 के विरुद्ध श्री मोहनलाल द्वारा एक्सिस बैंक के आगे की दिनांक के चार चैक प्रस्तुत किये हैं। इसी प्रकार श्री देवीसिंह खरीद केन्द्र प्रभारी बापिणी के विरुद्ध बकाया माल कमी की राशि रू0 46,48,331.00 के विरुद्ध श्री देवीसिंह द्वारा एक्सिस बैंक के आगे की दिनांक के 03 चैक प्रस्तुत किये हैं। खरीद केन्द्र लोहावट प्रभारी श्री हरीसिंह ने दिनांक 10.07.2020 तक उनके विरुद्ध माल की बकाया रही राशि रू0 10,33,575.00 समिति में जमा करा दिये हैं। चूंकि पूर्ण रकम श्री हरिसिंह द्वारा जमा करवा दी गई है तथा माल कमी की कोई राशि बकाया नहीं है। इस प्रकार समिति के क्रय केन्द्र फलोदी, बापिणी एवं लोहावट में वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद में केन्द्र प्रभारियों द्वारा अनियमिततायें करके तथा माल को खुरद बुर्द करके माल कमी करके समिति को हानि पहुंचाई गई है। इनके द्वारा अनियमिततायें करके की गई माल कमी को इनके द्वारा अपने अपने जवाब में स्वीकार भी किया गया है। अतः श्री राकेश पुरोहित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, जोधपुर ने समिति के दो खरीद केन्द्रो पर के क्रय प्रभारियों यथा श्री मोहनलाल, श्री देवीसिंह को अमानत में खयानत करने, माल को खुरद बुर्द करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों का निवर्हन नहीं करके समिति को हानि पहुंचाने के लिये तत्काल ही निलम्बित किया जाकर इनके विरुद्ध समिति सेवानियमों के अर्न्तगत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंषा की है तथा श्री मोहनलाल केन्द्र प्रभारी फलोदी से राशि रू 77,55,216 तथा श्री देवीसिंह केन्द्र प्रभारी बापिणी से राशि रूपये 46,48,331 की वसूली हेतु अधिनियम 2001 की धारा 57 के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है तथा श्री हरिसिंह द्वारा राशि जमा करा देने के उपरान्त समिति के सेवानियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की गई, इसके साथ ही समिति के मुख्य व्यवस्थापक श्री मुरली मनोहर व्यास, निरीक्षक (कार्यकारी) द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने, खरीद केन्द्रो पर समुचित नियंत्रण नहीं रखने तथा अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का भली भांति निवर्हन नहीं करने के लिये सीसीए रूल्स के तहत उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की। श्री राकेश पुरोहित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, जोधपुर ने जांच के दौरान पाया गया कि राजफैड एवं विभागीय दिशा निर्देशो के अनुसार राजफैड से भुगतान प्राप्त होने के बाद ही परिवहन व हेण्डलिंग को भुगतान किया जा सकता है लेकिन समिति मुख्य व्यवस्थापक श्री मुरली मनोहर व्यास द्वारा इस कार्यालय द्वारा निविदा कमेटी की बैठक दिनांक 13.4.2019 को समिति के लिये हेण्डलिंग व परिवहन हेतु मैं. बंसल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की निविदा को स्वीकृत करने के उपरांत भी इस कार्यालय के आदेशो/निर्देशो की दरकिनार कर अपने स्तर पर ही बिना राजफैड एवं इस कार्यालय की स्वीकृति प्राप्त किये ही संचालक मंडल में दिनांक 11.10.19 को प्रस्ताव पारित कर समिति स्तर से हेण्डलिंग व परिवहन करवाने का निर्णय लिया जाकर अपने पदीय कर्तव्यों के विपरीत कार्य किया गया है। समिति द्वारा राजफैड एवं विभागीय निर्देशो की अवहेलना करते हुए राजफैड से भुगतान प्राप्त होने के पूर्व ही हेण्डलिंग राशि रू. 49,57,827/- एवं परिवहन राशि रू0 1,6709,838.00 का भुगतान समिति स्तर से किया जाकर राजफैड एवं विभागीय दिशा निर्देशो की अवहेलना करते हुए कुल रू0 2,16,67,665/- का भुगतान समिति के कोष से किया जाकर समिति को उक्त राशि के ब्याज की हानि पहुंचाई गई है। जिसके लिये श्री मुरली मनोहर व्यास, तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक के विरुद्ध सीसीए रूल्स के तहत उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की सिफारिश की गई। यह जांच रिपोर्ट दिनांक 29.07.2020 को पूर्ण कर श्री धनसिंह देवल अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितिया जोधपुर खण्ड जोधपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। जिस पर श्री मुरली मनोहर व्यास तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक को दिनांक 16.06.2020 को निलम्बित किया गया। श्री धनसिंह देवल अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितिया जोधपुर खण्ड जोधपुर द्वारा दिनांक 31.08.2020 को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55(5)(6) के तहत जांच परिणाम जारी किए जिसमें श्री मोहनलाल केन्द्र प्रभारी फलोदी, श्री देवीसिंह केन्द्र प्रभारी बापिणी को अमानत में खयानत करने व

श्री मुरली मनोहर व्यास को खरीद केन्द्रों पर समुचित नियन्त्रण रखने का दोषी माना तथा श्री मुरली मनोहर व्यास द्वारा राजफेड व विभागीय निर्देशों की अवहेलना करते हुए राजफेड के भुगतान से पूर्व ही हेण्डलिंग एवं परिवहन कुल राशि 2,16,67,664 का भुगतान समिति स्तर पर करने का दोषी माना। जिस पर श्री भोमा राम अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर खण्ड जोधपुर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मोहनलाल क्रय केन्द्र प्रभारी फलोदी सेल्स कम केशीयर फलोदी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड को राशि रूपये 77,55,216/- एवं श्री देवीसिंह क्रय केन्द्र प्रभारी बापिणी को राशि रूपये 46,48,331.00/- के लिए दोषी करार दिया गया एवं प्रतिवादीगणों से आरोपित राशि कमी की दिनांक से 07 प्रतिशत ब्याज की दर से वसूल की जाने एवं प्रतिवादियों से प्रक्रिया शुल्क रूपये 1,000/- वसूल कर राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किये गये। श्री मुक्तानन्द अग्रवाल रजिस्ट्रार सहकारी समितिया राजस्थान जयपुर द्वारा श्री मुरली मनोहर व्यास निरीक्षक (कार्यकारी) सहकारी समितिया के विरुद्ध पर्यवेक्षणीय लापरवाही के आरोप प्रमाणित मान सीसीए रूल्स के तहत दंडित किया गया। अनुशंषा- श्री मुरली मनोहर व्यास मुख्य व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति फलोदी, श्री मोहनलाल चौधरी क्रय केन्द्र प्रभारी फलोदी, श्री देवीसिंह खीचीं क्रय केन्द्र प्रभारी बापिणी एवं हरिसिंह क्रय केन्द्र प्रभारी लोहावट, श्री दिलीपसिंह क्रय केन्द्र प्रभारी बाप ने वर्ष 2019-20 में समर्थन मुल्य पर मूंगफली की खरीद में केन्द्र प्रभारियों द्वारा आपसी षडयन्त्र कर मिलीभगत कर नियमों की अवहेलना कर एवं अनियमिततायें करते हुए अमानत में खयानत कर माल को खुरदबुर्द किया जाकर अपने-अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करके समिति को हानि पहुंचाने समिति को कुल 2,32,37,122 रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाई गई है। श्री मुरली मनोहर व्यास द्वारा राजफेड एवं विभागीय निर्देश की अवहेलना करते हुए राजफेड से भुगतान प्राप्त होने पूर्व ही हेण्डलिंग एवं परिवहन का भुगतान समिति स्तर स्तर से किया जाकर कुल रू0 2,16,67,665/- का सहकारी समिति के कोष से किया जाकर समिति को उक्त राशि के ब्याज की हानि पहुंचाई गई है। आरोपीगण का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1) (ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 406,409,420,120वीं भादसं में दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपीगण 1.श्री मुरली मनोहर व्यास पुत्र श्री पन्नालाल व्यास जाति ब्राह्मण उम्र 53 वर्ष निवासी नागौर रोड फलोदी जिला फलोदी तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति फलोदी, 2. श्री मोहनलाल चौधरी पुत्र श्री बगताराम चौधरी जाति चौधरी उम्र 48 वर्ष नवासी ग्राम पंचायत रिडमलसर तहसील आऊ जिला फलोदी तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी फलोदी 3.श्री देवीसिंह खीचीं पुत्र श्री खेतसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 51 साल निवासी ग्राम पंचायत घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी बापिणी 4.श्री हरिसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र 55 साल निवासी ग्राम पोस्ट आमला तहसील लोहावट जिला फलोदी तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी लोहावट, 5.श्री दिलीपसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 67 वर्ष निवासी प्रतापजी का कोट तिवरी जिला जोधपुर तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी बाप के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (ए), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण(संशोधित) अधिनियम 2018 तथा 406,409,420,120 वीं आईपीसी में दण्डनीय होने से इनके विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (मनीष वैष्णव) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1) (ए), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988(यथा संशोधित 2018) तथा 406,409,420,120वीं भादसं में आरोपीगण 1.श्री मुरली मनोहर व्यास पुत्र श्री पन्नालाल व्यास जाति ब्राह्मण उम्र 53 वर्ष निवासी नागौर रोड फलोदी जिला फलोदी तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति फलोदी, 2. श्री मोहनलाल चौधरी पुत्र श्री बगताराम चौधरी जाति चौधरी उम्र 48 वर्ष नवासी ग्राम पंचायत रिडमलसर तहसील आऊ जिला फलोदी तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी फलोदी 3.श्री देवीसिंह खीचीं पुत्र श्री खेतसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 51 साल निवासी ग्राम पंचायत घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी बापिणी 4.श्री हरिसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र 55 साल निवासी ग्राम पोस्ट आमला तहसील लोहावट जिला फलोदी तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी लोहावट, 5.श्री दिलीपसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 67 वर्ष निवासी प्रतापजी का कोट तिवरी जिला जोधपुर तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी बाप के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोवर्धन राम, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टें.जोधपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 356 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1494-99 दिनांक 25-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 3- रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर 4- समिति संचालक मण्डल, फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड फलोदी। 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परिवाद संख्या 116/2020) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

gordhan ram

Rank

उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/11/2024 18:29:41



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	17/11/1971				
2	Male	08/10/1976				
3	Male	20/07/1973				
4	Male	15/09/1969				
5	Male	01/07/1957				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0271 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/11/2024 18:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भा दं सं 1860	406
4	भा दं सं 1860	409
5	भा दं सं 1860	420
6	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 18/06/2020 Date To (दिनांक तक): 31/08/2020
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 10:00 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/11/2024 Time (समय): 16:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 25/11/2024 18:27:19 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 130 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) Address(पता): KRYA,VIKRYA SAHKARI SAMITI KE KHARID KENDRA, BAP, PHALODI,BAPINI V LOHAWAT